न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-425/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) संजीव कृष्ण चौधरी, पिता-स्व0 राधा कृष्णा चौधरी,
सा0-शिवपुरी, वार्ड नं0-09, थाना-अररिया, जिला-अररिया

(2) शुभम तमांग, पिता-बी0बी0 तमांग
सा0-आलूबाड़ी, टी0एन0 रोड, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल..................विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
18.01.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 864/हि0शा0, दिनांक 19.04.2020) के आलोक में अररिया थाना कांड सं0-81/20, दिनांक-30.01.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मारुती सुजूकी वैगनआर चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-WB-74Q5000, चेचिस संख्या-NA3EED81S00892790, ईंजन संख्या-F10DN4717562 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारंभ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। विपक्षी की ओर से दिनांक 04.08.2020 को कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। कारण-पृच्छा में अंकित किया गया है कि गाड़ी मालिक का नाम-शुभम तमांग, पे0-बी.बी. तमांग, सा0-आलूबाड़ी, टी0एन0 रोड, दार्जिलिंग, पश्चिम बांगल है। गाड़ी मालिक शुभम तमांग, पे0-बी.बी. तमांग, सा0-आलूबाड़ी, टी0एन0 रोड, दार्जिलिंग, पश्चिम बांगल को निबंधित डाक से सूचना गिर्नत किया गया। निबंधित डाक बिना तामिला वापस प्राप्त है। विपक्षियो की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया से जब्त वाहन के मालिक के विस्तृत विवरणी की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक 851/जि0परि0, दिनांक-03.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित वाहन के वाहन मालिक का विस्तृत विवरणी कार्यालय के कम्प्यूटर में ऑनलाईन प्रदर्शित नहीं हो रहा है। (2) "दैनिक प्रभात खबर" समाचार पत्र में दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से वाहन मालिक को सम्बोधित सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी/वाहन मालिक की ओर से आज तक कोई समुचित पैरवी नहीं की गई। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। विपक्षी/वाहन मालिक को अंतिम मौका दिया गया। स्पष्ट है कि विपक्षी/वाहन मालिक को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षियो की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को एक पक्षीय सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-864/हि0शा0, दिनांक 19.04.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का कहना है कि सहायक अवर निरीक्षक, अररिया थाना द्वारा दिनांक-30.01.2020 को समय 16.45 बजे संध्या गश्ती एवं सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था ड्यूटी हेतु प्रस्थान किए। गश्ती के क्रम में समय 17.15 बजे चाँदनी चौक के समीप उन्हें सूचना मिली कि निशा गैस सर्विस, अररिया के 100 मीटर आगे सर्विस रोड में एक चार चक्का वाहन और एक मोटर साईकिल में टक्कर हो गयी है। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समय 17.25 बजे निशा गैस सर्विस रोड में करीब 100 मीटर आगे पहुँचने पर उन्होंने देखा कि मारुती सुजूकी वैगनआर चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-WB-74Q5000, चेचिस संख्या-NA3EED81S00892790, ईंजन संख्या-F10DN4717562, दुर्घटनाग्रस्त है और एक व्यक्ति पुलिस गाड़ी को देखकर भाग रहा है। दो स्वतंत्र व्यक्ति-1. कुन्दन कुमार भगत, पिता-दिलीप प्रसाद भगत, सा0-मदनपुर, पोस्ट-मदनपुर, वार्ड नं0-07, थाना-मदनपुर, जिला-अररिया एवं 2. राकेश कुमार भगत, पिता-स्व0 धर्मदेव भगत, सा0-ए0डी0बी0 चौक, वार्ड नं0-22, थाना-अररिया, जिला-अररिया के समक्ष गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में	

अधिहरण वाद संख्या-425/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
18.01.2021	गाड़ी के सीट के अन्दर एक सील टुटा हुआ बेतल, जिसमें करीब 300 मिली लीटर विदेशी शराब मेक डूऐल नं0-01, को बरामद किया गया। बरामद वाहन एवं शराब को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया। बिना किसी विधिमान्य अनुज्ञप्ति, परमिट अथवा पास के बिना किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, कब्जा, कय, विकय, वितरण, संग्रहण, बोतल बंद, आयात, निर्यात, परिवहन करना अथवा दूर हटाना, शराब का उपभोग आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध अररिया थाना कांड सं0-81/20, दिनांक-30.01.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 दर्ज किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षियो द्वारा अवैध शराब का जब्त चार चक्का वाहन से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त चार चक्का वाहन राजसात होने योग्य है। जब्त चार चक्का वाहन को राजसात किया जाय। (4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्को पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि विपक्षियो द्वारा जब्त मारुती सुजूकी वैगनआर चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-WB-74Q5000, चेचिस संख्या-NA3EED81S00892790, ईजन संख्या-F10DN4717562 का उपयोग अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त वाहन का कोई दावेदार इस न्यायालय के समक्ष दावा नहीं किया है। मारुती सुजूकी वैगनआर चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-WB-74Q5000 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तदनुसार **अररिया थाना कांड सं0-81/20, दिनांक-30.01.2020, धारा-30(क)/37(ग) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त मारुती सुजूकी वैगनआर चार चक्का वाहन रजिस्ट्रेशन संख्या-WB-74Q5000, चेचिस संख्या-NA3EED81S00892790, ईजन संख्या-F10DN4717562 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (वाहन मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया	

ज्ञापांक 262/विधि, अररिया, दिनांक 23-01-2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

न्यायालय, जिला दंडाधिकारी, अररिया (बिहार)